IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति उच्च माध्यमिक स्तर की विभिन्न वर्गों की छात्राओं में जागरूकता का अध्ययन"

निर्देशिका

डॉ. राजू पंसारी

रीडर

प्रस्तुतकर्त्री

मनीषा यादव

एम.एड.छात्रा

सारांश –

स्त्री–पुरूष दोनों ही समाज के सहजीवी सदस्य हैं, परन्तु यहाँ की शिक्षा, सस्कृति, धर्म, नीति, आदर्श आदि की दृष्टि से नारी का जितना विश्लेषण किया जाता है उतना विष्लेशण पुरूष का नहीं किया जाता। साहित्य, मनोविज्ञान एवं धर्मशास्त्र की तो प्राण–प्रतिष्ठा का केन्द्र बिन्दु ही नारी जान पड़ती है, ऐसा किस कारण से है? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने की दिषा में हमने कभी नहीं सोचा और रूढ़ियों, अन्धविश्वासों, जड़ताओं तथा दुराग्रहों एवं कुतर्कों की आड़ में नारी अस्तित्व एवं मर्यादा को उपेक्षित करते गये और इस त्रासदी का दुःख भोगने वाली नारी आर्य–जीवन दर्शन की मूलभूत चेतना से कट सी गई। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेजी से सम्पन्न हो रही है। इस प्रक्रिया से समाज की सभी दिशाओं में परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से समाज की विभिन्न इकाइयों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़े हैं। समाज की महत्वपूर्ण एवं आधारभूत इकाई परिवार है। परिवार की धुरी नारी है। युग चाहे जो भी रहा हो, समाज का विकास नारी के विकास पर ही आधारित रहा है। मनु महाराज ने 'मनु स्मृति' में नारी की महत्ता का विवेचन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि –

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः,
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः।"

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है और आंकड़ों के संग्रहण हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया है। न्यादर्श के रूप में जयपुर शहर के निजी व सरकारी विद्यालय के 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बालिकाओं में महिला उत्पीड़न से संबंधित कानून की जागरूकता पाई जाती है।

प्रस्तावना –

यह कितनी दुःखद स्थिति है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त कानून होने के बावजूद भी उनके विरूद्ध अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। इस सम्बन्ध में राश्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े चौंका देने वाले है। पिछले दो वर्षों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अपहरण, दहेज हत्या, महिला उत्पीड़न एवं यौन शोषण से जुड़े मामलों की संख्या सबसे अधिक है। 2008 में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या 151174 थी जो 2009 में बढ़कर 166565 तक पहुंच गई थी। इस प्रकार केवल एक वर्ष में अपराधों की संख्या में 8.4 प्रतिषत की बढ़ोतरी हो गई। 2010 में महिला अत्याचार से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं – दहेज मृत्यु के मामलों में 5.96% की वृद्धि, महिला उत्पीड़न के मामलों में 7.46% की वृद्धि, बलात्कार के मामलों में 3.42% की वृद्धि तथा अपहरण के मामलो में 7.23% की वृद्धि हुई।

इसी प्रकार देष के 23 महानगरों एवं प्रमुख षहरों में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या 16807 रही। इनमें सबसे अधिक अपराध 21.2 प्रतिशत चेन्नई में दर्ज हुए। इसके बाद दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरू व हैदराबाद का स्थान रहा। बलात्कार की घटनाओं में 32.9 प्रतिशत के साथ दिल्ली सबसे आगे रहा। यहाँ अपहरण की घटनाएं 43.2 प्रतिशत, दहेज हत्या की घटनाएं 17.4 प्रतिशत तथा यौन–उत्पीड़न की घटनाएं 23.3 प्रतिशत रिकार्ड की गई।

इन तथ्यो को देखने से ऐसा लगता है कि महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून या तो पर्याप्त नहीं है या वे बेअसर हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला सबसे पुराना एवं प्रभावशाली कानून 1860 की बनाई हुई भारतीय दण्ड संहिता है। इसमें अपहरण, लज्जा भंग, बलात्कार, स्त्री के अनादर आदि के बारे में आरम्भ से ही व्यापक व्यवस्था की गई है। कालान्तर में इसमें कई बार संषोधन भी किए गए। दहेज–मृत्यु एवं स्त्रियों के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार के प्रावधान संषोधन द्वारा ही जोड़े गए। बलात्कार के लिए कठोर दण्ड रखा गया। महिलाओं के अषिश्ट रूपण को रोकने के लिए 1986 में महिलाओं का अशिष्ट–रूपण (निषेध) अधिनियम पारित किया गया। इसकी धारा 3 मे महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों तथा धारा 4 में महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तक, पुस्तिका, लेखन, फिल्म, छायाचित्र, रंग चित्र, रेखा चित्र आदि के उत्पादन, विक्रय, वितरण आदि का निशेध किया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के लिए धारा 6 में दो वर्श तक की अवधि के कारावास एवं दो हजार रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। महिलाओं से संबंधित विविध समस्याओं के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों द्वारा समय–समय पर अत्यधिक सारगर्भित विधिक–मीमांसा की जाती रही है, पर अतीत के अनुभव यही दर्षाते हैं कि महिला जाति की विविध समस्याओं के निराकरण हेतु विविध विधानों की विरचना मात्र पर्याप्त नहीं है बल्कि आवष्यकता है मानसिक बदलाव की। कानूनी प्रावधान कागजी फूल की तरह निस्तेज व प्रभावहीन साबित न हो, इसके लिए प्रषासनिक, बौद्धिक व नैतिक स्तर पर

कर्त्तव्यबोध व जागरूकता का षंखनाद अपेक्षित है। न्याय और पुलिस विभाग के कंधों पर इस सम्बन्ध में दायित्व–निर्वाह का दुरूह कार्य है।

समस्या का औचित्य –

स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के प्रत्येक क्षेत्र में चहुँमुखी विकास हुआ है, परन्तु महिला स्वतन्त्रता की वृद्धि में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। आज भी लगभग 75 प्रतिशत महिलाएं अपने अधिकार के प्रति निष्क्रिय हैं। उनकी मानसिकता दबी हुई है। वे पुरूष से बराबरी करने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं और अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको सहारे की जरूरत है। वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। गिनी चुनी महिलाएँ ही सक्रिय हैं, कुछ न्यायाधीश हैं, कुछ कानूनविद् हैं, अल्प मात्रा में ही शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। राजनीति में व समाज में उनकी सहभागिता अल्प मात्रा में हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में भी महिला, महिला की मदद नहीं कर पा रही है। नारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर वह घर में है तो घर को स्वर्ग बनाती है। अगर व्यवसाय में है तो वह अपने कार्य के प्रति विपरीत परिस्थितियों में जूझती हुई अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होती। इसलिए तो कहा गया है कि नारी आदि है, मध्य और अन्त है।

हमारे उपराश्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी का यह कहना सनसनीखेज और अफसोसजनक है कि 'अगर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, तो उन्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए।' इसके पीछे भले ही उसे व्यवस्था के प्रति सलमा अंसारी का रोश छिपा हो, जो लड़कियों की सुरक्षा सुनिष्चित नहीं कर पा रही है, लेकिन इस निराषा–भरी टिप्पणी की प्रषंसा या अनुषंसा कोई नहीं करेगा।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण –

(क) उच्च माध्यमिक स्तर :–

उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी वे बालक तथा बालिकाएँ जो कक्षा 11 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत् हो 'उच्च माध्यमिक स्तर' के विद्यार्थियों की श्रेणी में सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एवं विभिन्न आयोगों में इस स्तर का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में 10़2़3 प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। 12 वर्षों की शिक्षा अवधि में 5 वर्ष प्राथमिक, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8, 2 वर्ष कक्षा 9 से 10 माध्यमिक शिक्षा तथा कक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए।

(ख) जागरूकता :–

संस्कृत भाषा की 'जागृ' धातु के 'ऊक' प्रत्यय के योग से जागरूक शब्द का सृजन होता है तथा इसमें 'तृच' तथा 'टाप्' प्रत्यय लगाकर जागरूकता शब्द का व्युत्पन्न होता है। इसका अर्थ है – निद्राषून्यता, सचेतता, जागरणषीलता, प्रबुद्वता। जागरूकता एक मानसिक भाव है, जिसका अर्थ है – बोध सहित जागना। अतः इसके लिए मूढ़ता का त्याग होना सर्वप्रथम आवष्यकता है। बिना ज्ञान के बुद्धि और इन्द्रियाँ सुप्त हो जाती है।

(ग) महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधान :–

संविधान के अधीन प्रत्याभूत महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं, और उससे सशक्त या आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

शोध के उद्देश्य –

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान संकाय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर कला संकाय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
4. उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
6. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
7. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
8. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

,शोध के परिकल्पना –

1. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान संकाय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर कला संकाय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् सामान्य वर्ग की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला

उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

6. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अन्य पिछड़ा वर्ग की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्ध कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
8. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के भाव में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध की विधि –

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधकर्त्री द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या –

प्रस्तुत अध्ययन में जयपुर जिले के माध्यमिक स्तर के निजी व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में चयन किया गया है।

शोध में प्रयुक्त न्यादर्श –

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु न्यादर्श के रूप में माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय की 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

शोध में प्रयुक्त उपकरण –

प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ –

प्रस्तुत शोध कार्य में सांख्यिकी के रूप में निम्न का प्रयोग किया गया है –

1. मध्यमान
2. टी परीक्षण
3. टी मूल्य

शोध का परीसीमांकन –

1. प्रस्तुत लघु शोध जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं को महिला उत्पीड़न से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का मापन करने हेतु चयन किया गया है।
3. प्रस्तुत अध्ययन केवल 200 छात्राओं की जागरूकता के अध्ययन तक सीमित है।
4. प्रस्तुत अध्ययन 100 शहरी उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं तथा 100 ग्रामीण उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं तक सीमित है।
5. प्रस्तुत अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्येक संकाय में (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) से 40,40,20 छात्राओं का चयन किया गया है।
6. प्रस्तुत अध्ययन शहरी एवं ग्रामीण प्रत्येक क्षेत्र में चारों वर्गो (सामान्य, अपिव, अजा और अजजा) की उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् छात्राओं तक सीमित है।
7. प्रस्तुत अध्ययन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक संकाय (विज्ञान, कला एवं वाणिज्य) में

से चारों वर्गो की 25–25 छात्राओं तक सीमित है।

8. प्रस्तुत अध्ययन केवल उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विभिन्न वर्गों की छात्राओं की महिला उत्पीड़न सम्बन्धी प्रावधानों के प्रति जागरूकता के अध्ययन तक ही सीमित है।
9. प्रस्तुत अध्ययन मात्र 4 उच्च माध्यमिक विद्यालयों (2 शहरी एवं 2 ग्रामीण) तक ही सीमित है।

आँकड़ों का विश्लेषण –

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता मापनी के मध्यमानों के अन्तरों की सार्थकता की तुलना

छात्राएँ	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	क्रांतिक अनुपात (CR.Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
शहरी छात्राएँ	25	237.84	14.54	0.17	सार्थक अन्तर नहीं है।	सार्थक अन्तर नहीं है।
ग्रामीण छात्राएँ	25	238.72	22.29			

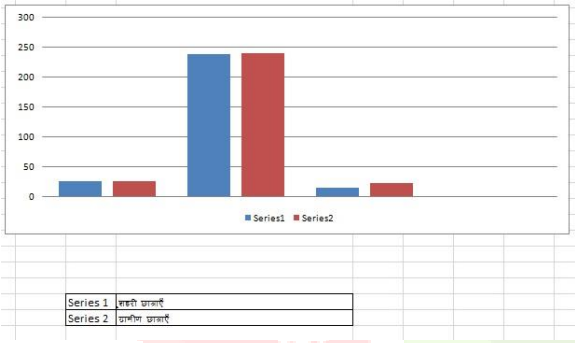

Series 1	शहरी छात्राएँ
Series 2	ग्रामीण छात्राएँ

परिणामस्वरूप यह कहा जाता है उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध निष्कर्ष –

उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति की षहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं में महिला उत्पीड़न सम्बन्धी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सुझाव –

1. छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक निर्णय, संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की छात्राओं की नैराष्य स्थिति, समस्यात्मक व्यवहार एवं जीवन संतुश्टि का अध्ययन करना।
3. परम्परागत एवं आधुनिक परिवारों में छात्राओं के जीवन मूल्यों, आत्मविश्वास एवं आदर्श समबन्धी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. विकंलाग तथा रोगी छात्राओं के अवसाद, दबाव एवं मानसिक द्वन्द्व का अध्ययन करना।
5. विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं की अमूर्त तर्क योग्यता एवं यांत्रिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत महिलाओं के बच्चों के जीवन आदर्ष, आत्म सम्प्रत्यय आदि का अध्ययन करना।
7. छात्राओं के गम्भीर आवेग, भय एवं सुरक्षा–असुरक्षा की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
8. महिलाओं के लड़के एवं लड़कियों के कर्त्तव्य पालन, जीवन शैली एवं ध्यान शक्ति में वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
9. महिलाओं के प्रतिभाशाली एवं मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों का अध्ययन करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची –

(1) अनास्तासी (1959) : ''साइक्लोजी टेस्टिंग तत्व'', मैकमिलत एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क

(2) आर्य हरिषरण (1796) : ''मनोविज्ञान परिभाषा कोष'', प्रकाष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली मेरठ।

(3) बेस्ट, जॉन डब्ल्यू (1959) : ''रिसर्च इन एजुकेषन'', यू.एस.ए. प्रेन्टिस हॉल (इंक) एंगिल बुक विल्पस।

(4) भाई, योगेन्द्र (2005) : ''षिक्षा में आधुनिक'', विनोद पुस्तक मंदिर, प्रवृतियां, आगरा–2

(5) भार्गव, महैंष (2007) : ''आधुनिक मनोविज्ञान'', भार्गव बुक हाउस परीक्षण आगरा।